# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

**पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S**

| प्रार्थी | | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| मैसर्स सुप्रीम सोलवैक्स प्रा0 लिमि0 जरिये मालिक महेन्द्र कुमार पुत्र देवाराम जाति रावल निवासी केसरपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही | बनाम | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज |

**<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>**

**राजस्व प्रा0पत्र संख्या 43/2024**

**दिनांक 14.01..2025**

## –:निर्णय:–

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक हुकुकों की कृषि भूमि मौजा केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा भू0 अ0 निरीक्षक शिवगंज तहसील शिवगंज में स्थित है जिसके खाता सं0 290 खसरा नम्बर 33/460, 33/461, 33/462 रकबा क्रमशः 0.1360, 0.1348, 0. 1429 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4137 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित हैं। उक्त खसरा नम्बर को आगे वादगस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार है तथा प्रार्थी के अलावा वादग्रस्त भूमि का अन्य कोई खातेदार नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। तथा जिसके कब्जे व खातेदारी को लेकर मौके पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी की उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का मौके संलग्न ट्रेस नक्शा अनुसार कब्जा है तथा बहैसियत खातेदार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी का तरमीमशुदा नक्शा जब प्रार्थी के जानकारी में आया तो ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी का तरमीम नक्शा कब्जा मौका तथा संलग्न लट्ठा ट्रेस के अनुसार दर्ज किया हुआ नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि का तरमीम करते वक्त नक्शें में सीमांकन सही दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि की तरमीम सही नहीं होने तथा नक्शें में कब्जे मौके के अनुसार तरमीम नक्शा में सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी को हो रही असुविधा से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण बना। जिससे भविष्य में इस बाबत विवाद होने की संभावना है। अतः प्रार्थी ने नक्शें में सही रूप से तरमीम करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौजा केसरपुरा तह0 शिवगंज के उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान की तरमीम ऑनलाईन नक्शें में मौके व कब्जे अनुसार न होकर अन्यत्र की गई है। जिसका संशोधित प्रस्तावित नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराकर ऑनलाईन नक्शें में हुई त्रुटि [illegible] किये जाने का निवेदन किया गया। हमनें उभय प्रार्थी अधिवक्ता की बहस [illegible] मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन व उस पर मनन किया तो हमने पाया कि दस्तावे[illegible] साक्ष्यों से भी प्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

प्र0सं0 43/2024
शिवपालसिंह बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 131,136 एलआरएक्ट

## —ःआदेशः—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 33/460, 33/461, 33/462 रकबा कमशः 0.1360, 0.1348, 0.1429 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4137 हैक्टयर भूमि का माफिक कब्जा व प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त आदेश तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, **R.A.S**)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

कमांक/कोर्ट/2025/ दिनांक 14.01.2025

**प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :—**
तहसीलदार शिवगंज ।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:54 IST
Reason: SelfAttested